

प्रेस नोट 28.04.19

1.दिनांक 27.04.19 को वादी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र राम शरन निवासी 5 सिविल लाइन थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वादी को आनलाइन पैसा का झांसा देकर 10000/रूपये ट्रान्सफर कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 337/19 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.अंशू श्रीवास्तव पुत्र योगेन्द्र निवासी किराये का मकान उसरू थाना को0नगर, अयोध्या 2. कमलेश निषाद उर्फ छोटू पुत्र त्रिवेणी निषाद निवासी कनीगंज बरेहटा थाना को0अयोध्या, अयोध्या 3. प्रशान्त राय उर्फ जैकी पुत्र संजय राय निवासी गद्दोपुर थाना कैण्ट, अयोध्या 4. श्रवण निषाद पुत्र विन्दा निषाद निवासी कनीगंज बरेहटा थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से मु0अ0सं0 335/19 व 336/19 धारा 392 भादवि थाना को0नगर से संबंधित छीने गये मोबाइल फोन सहित 29 अदद विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल व 01 अदद पिट्टू बैग तथा उपरोक्त घटनाओं में प्रयुक्त मोटर पल्सर नं0 यूपी 41 एबी 9639, अपाचे मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 जेड 0679 व ग्लैमर मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 एक्यू 5525 बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 338/19 धारा 41/411, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अंजनी कुमार प्रभारी चौकी सदर बाजार थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश निषाद पुत्र स्व0 टीडी निवासी मऊ शिवाला थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 80 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 164/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 27.04.19 को वादी श्री रमेश कुमार पुत्र श्याम सुन्दर निवासी घुरेहटा थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एटी 1291 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे पैर फ्रैक्चर हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 254/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार राय थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र कुमार उर्फ धिरारू पुत्र शिव प्रसाद निवासी सुजानपुर थाना पूराकलन्दर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 200/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अवधेश यादव थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लाल बहादुर पुत्र स्व0 राम शंकर निवासी गंजा थाना पूराकलन्दर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 201/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार वनराजा पुत्र पप्पू वनराजा निवासी टीकमपारा थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 131/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 27.04.19 को वादी श्री राजेश विश्वकर्मा पुत्र जुगराज विश्वकर्मा निवासी देवापुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 टी 5400 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भान्जे कन्हैया की साइकिल में टक्कर मार देना जिससे कन्हैया को गम्भीर चोटे आना व साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना।

जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 135/19 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

9.दिनांक 27.04.19 को वादी कान्स0 सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी सरायरासी थाना महाराजगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 80 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 158/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

10.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार मौर्या थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्नीलाल पुत्र दीपक निवासी बदेह का पुरवा मजरे खिरौनी थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 184/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

11.दिनांक 27.04.19 को वादी श्री विजय कुमार चौरसिया पुत्र मेवालाल निवासी खजुरहट थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रदीप सोनी पुत्र राम दास सोनी निवासी खजुरहट थाना को0बीकापुर, आदि 02 नफर जमीन व मकान की बात को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 253/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

12.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री संदीप कुमार त्रिपाठी थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंगल निषाद पुत्र प्रेम सागर निषाद निवासी तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 254/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

13.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री रघुराज सिंह थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि साधू उर्फ सूर्यजीत पुत्र हीरालाल निषाद निवासी तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 255/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

14.दिनांक 27.04.19 को वादी श्री आलोक कुमार वर्मा प्रभारी निरीक्षक हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द यादव पुत्र जयकरन यादव निवासी पलिया मलावन थाना हैदरगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 112/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

15.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरनाथ पुत्र राम फेर निवासी बारून नौहड़िया थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 202/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियाग पंजीकृत किया गया ।

16.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश त्रिपाठी थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू पुत्र बनवारी निवासी सराय धनेठी थाना कुमारगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 89/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

17.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार त्रिपाठी थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इमरान अहमद पुत्र नौशाद अली निवासी सोफियाना कस्बा रुदौली, थाना को0रुदौली, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 144/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

18.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अलखराम पुत्र राम खेलावन निवासी कोटवा थाना पटरंगा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 90/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

19.दिनांक 27.04.19 को वादी उ0नि0 श्री पवन राठौर थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र रामदेव निवासी मानापुर थाना पटरंगा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 91/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।